

डिक्री बमुकदमें ईवतदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 82/2024 अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीएक्ट

ओमप्रकाश पुत्र श्री बीरबलराम जाति जाट निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़, राज0।

-वादी

बनाम

1. रामसिंह पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 30 हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़, राज0।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर
3. दयाराम पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी 29 एलएलडब्ल्यू सुभानवाला हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री विनोद कुमार स्वामी वकील-वादी

श्री विनोद राहड़ वकील प्रतिवादी सं. 1 व 3

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 2

निर्णय दिनांक- 08-04-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर

के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:-

1. वादी ओमप्रकाश को चक नम्बर 3 के.डी.एम तहसील रावतसर में जमाबन्दी खाता संख्या 98/112 में पत्थर नम्बर 30/45 मुरबा नम्बर 84 के किला नम्बर 5/2, 6, 7, 8, 9, 10/1, 11/2, 12, 13, 14, व किला नम्बर 15 की 0.253 हैक्टेयर में से पासा पश्चिम वाला भाग की 0.046 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 2.4800 हैक्टेयर अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि का,
2. प्रतिवादी संख्या 1 रामसिंह को चक नम्बर 3 के.डी.एम तहसील रावतसर में जमाबन्दी खाता संख्या 98/112 में पत्थर नम्बर 30/45 मुरबा नम्बर 84 के किला नम्बर 15 की 0.253 हैक्टेयर मेसे पूर्वी पासा की 0.207 हैक्टेयर व किला नम्बर 16 ता 19, 20/2, 21/1, 22 ता 25 की कुल 2.687 हैक्टेयर अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 08/04/2024 ...को जारी की गई।

08/04/24  
(संजय कुमार)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर

